

बिहार सरकार
अभियंता प्रमुख का कार्यालय
लघु जल संसाधन विभाग,
जल भवन, तृतीय तल्ला, राईडिंग रोड, शेखपुरा, पटना ।

E-mail Id- engg.chf-bih@gov.in

आदेश

का0आ0-अभि0प्र0/ल0ज0सं0वि0/मु0 स्था0-29-01/2025- 954 /पटना, दिनांक- 21 / 08 /2025

माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में दायर एस0एल0पी0 (सी0) सं0-7257/2023 शशि भूषण प्रसाद सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य मामले में दिनांक-04.10.2024 को पारित न्याय निर्णय के आलोक में बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-21 दिनांक-01.01.2025 द्वारा विज्ञापन सं0-01/2019 के अंतर्गत कनीय अभियंता (यांत्रिक) के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को प्राप्त अनुशंसा के आलोक में निम्नांकित 02 (दो) अभ्यर्थियों को अधोलिखित शर्तों के अधीन कनीय अभियंता (यांत्रिक) के पद पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत वेतन स्तर 07 एवं समय-समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाता है:-

क्र0	अभ्यर्थी का नाम/गृह जिला	पिता/पति का नाम/ स्थायी पता	समेकित मेधा क्रमांक/पंजीयन सं0	जन्म तिथि	आवेदन की कोटि/चयनित कोटि	फोटो
1.	मो0 सईद/ गोपालगंज	मो0 शाह मोहम्मद, ग्राम- दुलदुलिया पो0+थाना- मांझागढ़ जिला-गोपालगंज, पिन कोड-841427	206 BR00150010076423	05/06/1996	EWS / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	
2.	सीमा कुमारी/ सीतामढ़ी	राम बाबू प्रसाद, ग्राम- गोविन्द फंदह, पो0-रिंगा, थाना-पुनौरा, जिला-सीतामढ़ी पिन कोड-843327	958 BR00150010069885	21/06/1990	BC/ UR-Female	

2. यह नियुक्ति अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित शपथ-पत्र एवं सत्यापन प्रपत्र में अंकित सूचनाओं को प्रथमदृष्टया सही मानकर एवं पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन अनुकूल प्राप्त होने की प्रत्याशा में की जा रही है। सत्यापन के क्रम में प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी।

3. यह नियुक्ति अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित शपथ-पत्र के आधार पर शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण-पत्रों को सही मानकर इस शर्त पर की जा रही है कि भविष्य में शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों/अभिलेखों के संबंध में गलत सूचना पाये जाने की स्थिति में इनकी सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं विधिसम्मत आवश्यक कार्रवाई भी की जायेगी।

4. यह नियुक्ति औपबंधिक रूप से की जा रही है। यदि भविष्य में [अभ्यर्थी नवनियुक्त कनीय अभियंता (यांत्रिक)] के विरुद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य/जानकारी अथवा उनसे संबंधित कोई त्रुटि /पार्थक्यता परिलक्षित होती है, तो बिना किसी पूर्व सूचना एवं कारण बताओ नोटिस के किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकती है।

(हस्ताक्षर)

5. वैसे अस्थिरियाँ जो पहले से सरकारी/अर्द्ध सरकारी संस्थानों/निकायों में कार्यरत हैं, उन्हें योगदान के समय नियोजित संस्थान के सक्षम प्राधिकार से निर्गत विरमन-पत्र/स्वीकृत त्यागपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6. सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त परामर्श के आलोक में जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत पत्रांक-171 दिनांक-14.01.2025 में उल्लिखित निम्नलिखित शर्त अधिरोपित होंगे:-

(i) बिहार सरकार के अंतर्गत सविदा नियोजित कनीय अभियंता नियमित सरकारी सेवक नहीं है। अतः आयोग द्वारा नियमित नियुक्ति हेतु उनकी अनुशंसा के क्रम में संबंधित विभाग द्वारा अनापति प्रमाण-पत्र (NOC) निर्गत करने की आवश्यकता नहीं है। नियमित नियुक्ति के उपरान्त ऐसे सविदा नियोजित कनीय अभियंता सविदा नियोजन से त्याग-पत्र समर्पित करने के अगले दिन ही नियमित नियुक्ति के कलस्वरूप योगदान करेंगे।

(ii) बिहार सरकार के अंतर्गत सविदा नियोजित वैसे कनीय अभियंता जिनका आयोग द्वारा चयन के क्रम में सविदा अवधि में किये गये कार्यानुभव के लिए अंक की अधिमानता तथा अधिकतम उम्र-सीमा में छूट का लाभ प्रदत्त की गयी होगी, को उनके पदस्थानित प्रमंडल/कार्यालय में योगदान के समय उनके नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण-पत्र की जाँच कर संपुष्ट होने पर सविदा अवधि में सविदा अवधि में की गयी सेवा का किसी प्रकार का कोई लाभ नियमित नियुक्ति के उपरान्त कारण बताओ नोटिस के किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकती है।

(iii) जिन सविदा नियोजित कर्मियों के विरुद्ध सम्प्रति अनुशासनिक कार्यवाही लंबित है, उनके मामले में प्रशासी विभाग द्वारा प्रत्येक मामले के गुणा-गुण के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।

(iv) सविदा अवधि में की गयी सेवा का किसी प्रकार का कोई लाभ नियमित नियुक्ति के उपरान्त अनुमान्य नहीं होगा।

7. बिहार ध्वन (संशोधन) नियमावली, 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प सं-0-1964 दिनांक-31.08.2005 एवं 768 दिनांक-03.07.2007 के अनुसार इन कर्मियों पर नयी अंशदायी ध्वन योजना लागू होगी।

8. अस्थिरियों को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने/योगदान हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

9. सभी नवनियुक्त कनीय अभियंताओं (यांत्रिक) के वेतनादि का भुगतान उनके पदस्थानन के उपरान्त नव पदस्थानन कार्यालयों में योगदान की तिथि से देय होगा।

10. नवनियुक्त कनीय अभियंताओं (यांत्रिक) के वेतनादि का भुगतान संबंधित नियंत्री पदाधिकारी द्वारा उनके शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों के सत्यापनोपरान्त किया जाएगा।

11. माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली/माननीय उच्च न्यायालय, पटना में विज्ञापन सं-01/2019 (कनीय अभियंता) के विरुद्ध दायर विभिन्न वार्दों में पारित होने वाले अतिम न्याय निर्णय के फलफल से यह नियुक्ति प्रभावित होगी।

12. भविष्य में किसी प्रकार के झूटि अथवा पार्ष्वयता पाये जाने पर इसे तदनुसार संशोधित/रद्द कर दिया जाएगा।

झापांक :- 954

/पटना, दिनांक-21 / 08 / 2025

प्रतिलिपि :- प्रमारी पदाधिकारी, ई0 गजट कोषाग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुसंध है कि इसकी 25 (पच्चीस) मुद्रित अतिरिक्त प्रतियाँ, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

अभियंता प्रमुख,

(सुनील कुमार)

21/8/2025

अभियंता प्रमुख,

लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

अभियंता प्रमुख,

21/8/2025

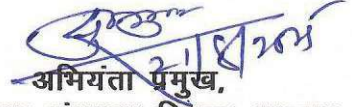
अभियंता प्रमुख,

21/8/25

21/8/25

ज्ञापांक :- 954 /पटना, दिनांक- 21 / 08 /2025

प्रतिलिपि :- महाधिवक्ता, बिहार, पटना/ सभी अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव/ सभी विभाग/ विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी/ सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


अभियंता प्रमुख,

लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक :- 954 /पटना, दिनांक- 21 / 08 /2025

प्रतिलिपि :- प्रभारी सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


अभियंता प्रमुख,

लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक :- 954 /पटना, दिनांक- 21 / 08 /2025

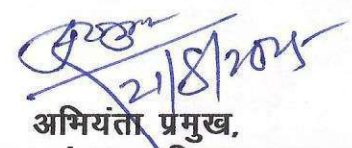
प्रतिलिपि :- सभी मुख्य अभियंता/ सभी अधीक्षण अभियंता/ सभी कार्यपालक अभियंता/ सभी सहायक अभियंता/ संबंधित नवनियुक्त कनीय अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


अभियंता प्रमुख,

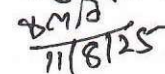
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक :- 954 /पटना, दिनांक- 21 / 08 /2025

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ सभी विभागीय पदाधिकारी/ बजट शाखा/ आई0टी0 मैजेजर, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


अभियंता प्रमुख,

लघु जल संसाधन विभाग, पटना।


11/8/25